

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास,
पलारीवट्टम। पी.ओ., कोच्ची - 682025
☐ूरभाष: 0484-2333610 से 616 तक

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता (विपणन एवं निर्यात संवर्धन) की नियुक्ति

स्पाइसेस बोर्ड, सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों, जिन्होंने केंद्रीय/राज्य सरकारी संस्थाओं, नामतः विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/वस्तु बोर्डों के अधीन 8-10,11,12-13 के वेतन स्तरों में सेवा की हैं, उनसे, एक साल की अवधि के लिए, जिसे अगले दो सालों के लिए बढ़ाई जा सकती है। **विपणन एवं निर्यात संवर्धन** हेतु परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए ☐ वेदन ☐ मंत्रित करता है। परामर्शदाताओं को स्पाइसेस बोर्ड के मुंबई, उंझा/जोधपुर, बाराबंकी/गुना, निजामाबाद (तेलंगाना), गुंटूर, बैंगलोर के प्रादेशिक कार्यालयों और मुख्यालय कोच्ची में तन्नात किए जाएंगे। सलाहकार का कार्य विवरण संलग्नक-1 में दिया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति के विस्तृत निबंधन और शर्तें संलग्नक-2 के रूप में संलग्न हैं।

1	अपेक्षित परामर्शदाता	सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी - 7 नं *, मुंबई, उंझा/जोधपुर, बाराबंकी/गुना, निजामाबाद (तेलंगाना), गुंटूर, बैंगलोर के प्रादेशिक कार्यालयों और मुख्यालय कोच्ची के लिए एक-एक (* स्पाइसेस बोर्ड, उपरोक्त श्रेणियों में सूचित परामर्शदाताओं की संख्या में परिवर्तन लाने का अधिका रखता है।)
2	पात्रता	सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी जिन्होंने मसालों के विपणन या मसालों / वृक्षारोपण फसलों / कृषि पण्यों या मसाला विस्तार गतिविधियों के निर्यात संवर्धन में कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव के साथ किसी भी केंद्र / राज्य सरकार की सेवा में विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / वस्तु बोर्डों में सेवा की है। क) 4800/- रुपए से 5400/-** रुपए तक ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-संशोधित वेतनमान के समतुल्य, वेतन मेट्रिक्स के वेतन लेवल 8-10 में या ख) 6600/-** रुपए तक ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-संशोधित वेतनमान के समतुल्य, वेतन मेट्रिक्स के लेवल 11 में या ग) 7600/-** रुपए तक ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-संशोधित वेतनमान के समतुल्य, वेतन मेट्रिक्स के लेवल 12 व 13 में (**स्पाइसेस बोर्ड, उपलब्धता के ☐ धार पर प्रत्येक वेतन लेवल के अंतर्गत सलाहकारों की

संख्या का निर्णय करने का अधिकार रखता ह॥)	
स्थानीय भाषा जानने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।	
उम्मीदवारों को विषयों की गहराई से जांच करने की अच्छी सूझ-बूझ के साथ प्रभावी संप्रेषण और अंतर-व्यक्तिक कौशल होना चाहिए	
शक्षिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
यु सीमा	जक्षा कि वेदन की अंतिम तारीख को ह॥63 साल से कम हो।
3 नियुक्ति का स्थान	बोर्ड के मुंबई, उंझा/जोधपुर, बाराबंकी/गुना, निजामाबाद (तेलंगाना), गुंटूर, बेंगलोर के प्रादेशिक कार्यालय और मुख्यालय कोच्ची ।
4 पारिश्रमिक	वेतन मेट्रिक्स के लेवल 8-10 में :₹40,000/- प्रति माह (निश्चित)
	वेतन मेट्रिक्स के लेवल 11 में : ₹50,000/- प्रति माह (निश्चित)
	वेतन मेट्रिक्स के लेवल 12 व 13 में :₹60,000/- प्रति माह (निश्चित)

चयन का तरीका:

- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- अंकों का वेटेज: अनुभव, क्षेत्र का योग्यता और समझ- 50 अंक, साक्षात्कार और प्रस्तुति - 50 अंक।
- स्पाइसेस बोर्ड लिखित परीक्षा/साक्षात्कार से पहले शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पूर्व सूचना देकर उल्लिखित वेटेज अंकों को संशोधित करने का अधिकार रखता ह॥
- साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का एक पञ्चल तयार किया जाएगा और बोर्ड की वश्यकता के अनुसार परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पञ्चल की वधता दो वर्ष की होगी और इसके अतिरिक्त वश्यक परामर्शदाताओं को अनुमोदित पञ्चल से नियुक्त किया जाएगा।

उम्मीदवारों के लिए अनुशेष :

- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिनके पास उपरोक्त योग्यता और अनुभव ह॥ अच्छा स्वास्थ्य ह॥ और जो तुरंत शामिल होने के इच्छुक हैं, वे अपने वेदन दिए गए फॉर्मेट (अनुलग्नक -3) में योग्यता और अनुभव के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एनएच बाईपास, पालारीवट्टम पी.ओ., कोच्ची- 682025, टेली: 0484-2333610 से 616 को 17 मार्च, 2023 को या उससे पहले प्रस्तुत कर सकते हैं।

- उम्मीदवारों को ँ वेदन पत्र और अन्य सभी संलग्नकों के कवर/लिफाफे पर "स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शता (विपणन और निर्यात संवर्धन) के पं के लिए ँ वेदन" ऐसा विधिवत लिखना चाहिए।
- ँ वेदन, जो समर्थक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र, अर्थात् अधिसूचना के अनुबंध-3 के अनुसार, में प्राप्त नहीं होता, उसपर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवार ँ वेदन, निम्न क्रम में एक सिंगल पीडीएफ संलग्नक के रूप में भेजें (क) अनुबंध-3 (ख) शक्षिक योग्यताएँ (कालक्रमानुसार) (ग) पहचान प्रमाण (घ) अनुभव प्रमाणपत्र (ङ) संगत दस्तावेज, यदि हप्तो ।
- उम्मीदवारों को, अद्यतन सूचना हेतु बोर्ड की औद्योगिक वेबसाइट www.indianspices.com में अधिसूचना/अवसर पेज नियमित रूप से जांच करने और किसी तीसरी पार्टी की वेबसाइट पर भरोसा न करने की सलाह दी जाती ह॥

03 मार्च, 2023
कोच्ची-25

निदेशक (प्रशासन)
स्पाइसेस बोर्ड

कार्य विवरण

1. क्षेत्र से मसालों के निर्यात में बढ़ावा देने और निर्यात के लिए उत्पादित मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, साथ ही इलायची (छोटी और बड़ी) के घरेलू विपणन के लिए, बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय, राज्य सरकार के प्राधिकरणों, उत्पादकों, व्यापारियों / निर्यातकों के साथ समन्वय करना।
2. राज्य जलिक मिशन, अन्य वस्तु बोर्ड, राज्य बागवानी और अन्य समान विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों, सीमा शुल्क, डीजीएफटी, ईसीजीसी □ दि जल्ले केंद्र सरकारी एजेंसियों, निर्यातक संघ एवं ट्रेड चेंबर्स(□ ईसीसी, एफ□ ईसीसी□ ई, एफ□ ईएनई□ र, असोचम, सी□ ईएल, पीएचडी □ दि), इस क्षेत्र के पंजीकृत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के साथ मिलकर काम करना ह□और उन्हें □ उटरीच कार्यक्रमों में शामिल करना ह□।
3. निर्यात के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक समूहों, निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, अन्य पणधारियों के साथ समन्वय करना।
4. क्षेत्र में मसाला निर्यातकों की शिकायतों को दूर करने के लिए हेल्प डेस्क का □ योजन करना। क्षेत्र में मसाला सेक्टर के पणधारियों के साथ लगातार संपर्क में रहना और मुद्दों के समाधान करने के लिए तंत्र तल्लार करना।
5. निर्यातकों / फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए क्रेता-विक्रेता बठक, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मसालों के निर्यात के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम जल्ले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समर्थन और □ योजन करना और क्षेत्र में निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. नए निर्यातकों, ग्रामीण क्षेत्र के निर्यातकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़े निर्यातकों के लिए अध्ययन दौरों, खासकर मसाला पार्क, मसाला बढ़ाए जानेवाले प्रमुख स्थानों सीएफटी□ र□ ई, □ ई□ ईपी, □ ई□ ईएस□ र, एन□ रसीएसएस □ दि अनुसंधान व विकास संस्थाओं को, का □ योजन करना
7. निर्यात के लिए तकनोलजी अंतरण हेतु प्रौद्योगिकी विकास संस्थानों के साथ परामर्श करके इस क्षेत्र में बढ़ाए जाने वाले मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए □ वश्यक तंत्र तल्लार करना
8. सरकारी सुविधाओं / योजनाओं के लिए केंद्र / राज्य सरकार से संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं के परिवहन के लिए तथा पक्क हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतित वल्ल जल्ली अवसंरचना सुविधाओं की तल्लारी के लिए निर्यातक / लॉजिस्टिक प्रदाताओं के साथ संपर्क करना
9. राज्य नोडल एजेंसी के सहयोग से कृषि निर्यात नीति (AEP) के तहत क्षेत्र में पहचाने गए मसालों के समूहों की गतिविधियों की निगरानी का समन्वय करना
10. क्षेत्र के मसालों में टल्ला किए जी□ ई (भौगोलिक संकेत) के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तंत्रों का विकास करना
11. बाजार संबंध स्थापित करने में एफपीसी और निर्यातकों को सहायता प्रदान करना।

12. क्षेत्र में निर्यातकों के बीच बोर्ड की योजनाओं को लोकप्रिय बनाना। मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात में मसालों की गुणवत्ता को उजागर करने के उद्देश्य से प्रचार अभियानों की रूपरेखा तैयार करना और अभियान प्रारंभ करना।
13. निम्नलिखित पर जानकारी संकलित करके एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना:
- क) क्षेत्र में मसाले प्रसंस्करण / मूल्य संवर्धन / पकेजिंग □ दि के लिए मशीनरी के □ पूर्तिकर्ताओं की सूची
 - ख) डब्ल्यूटीओ, □ ईटीसी और अन्य प्रामाणिक वेबसाइटों से इस क्षेत्र में उगाए गए मसालों के लिए व्यापार की जानकारी जल्लेकि प्रमुख निर्यातक देश, प्रमुख □ यातक देश, टरिफ बरियर, नॉन-टरिफ बरियर □ दि ।
 - ग) प्रमुख मसालों के व्यापार / बाजार की जानकारी जल्लेकि साप्ताहिक / पाक्षिक के अंतराल में क्षेत्र में प्रमुख सम्मेलन केंद्रों / एपीएमसी बाजारों से बाजार की □ वक, किस्में / ग्रेड, मूल्य □ दि।
 - घ) लाभार्थियों की सूची के साथ क्षेत्र में केंद्रीय / राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित बाजार / निर्यात संवर्धन हेतु क्षेत्र में मसालों के विकास के लिए योजनाएं
 - ङ) क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों के निर्यात में कटाई पश्चात् संचालन / गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे / चुनौतियां और उपचारात्मक उपाय सुझाना
 - च) क्षेत्र में संभावित □ पूर्तिकर्ताओं के रूप में एफपीसी / किसान समूहों (प्रत्येक मसाले के लिए) की सूची
 - छ) क्षेत्र में मसालों के प्रमाणित जल्लिक उत्पादन करने वाले एफपीसी / किसान समूह
14. नए उद्यमियों/निर्यातकों के संदर्भ/उपयोग के लिए इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों के लिए मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ, मूल्य संवर्धन इकाइयाँ (स्पाइस पाउडर, मसाला पाउडर, उपभोक्ता पक्क में साबुत मसाले, मसाला तेल / मसाला तल्लीराल □ दि) स्थापित करने के लिए बैंक-स्वीकार्य परियोजना तैयार करना।
15. बोर्ड के मसाला पार्कों और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के अधीन उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग करने के लिए □ वश्यक कदमों को लागू करना।
16. स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय / प्रादेशिक कार्यालय द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता को काम में लगाने हेतु निबंधन व शर्तें

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मामले में, कुल मासिक पारिश्रमिक और परामर्शदाता द्वारा ली गई पेंशन, उनके द्वारा 12 हरित अंतिम वेतन, जिसकी गणना महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों पर की गई हो, से अधिक नहीं होगी।
2. काम में लगाने की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी और उनके निष्पादन के 12 धार पर अपेक्षा के अनुसार 12 गे दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती ह॥
3. परामर्शदाता, महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, 12 वासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति 12 दि जल्ले किसी भी प्रकार के भत्ते या 12 वास-सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।
4. साक्षात्कार, असाइनमेंट में शामिल होने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राह्य नहीं होगा। फिरभी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करने की 12 वश्यकता होगी तो, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसी ग्रेड के नियमित पदाधिकारी के लिए ग्राह्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।
5. कार्य समय: परामर्शदाता निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा (अर्थात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वल्ले, तात्कालिक 12 वश्यकता के अनुसार, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ सकता ह॥
6. पेंशन का 12 हरण: परामर्शदाता के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी, परामर्शदाता के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत 12 हरित करना जारी रखेगा। परामर्शदाता के रूप में उसकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन के मामले के रूप में नहीं माना जाएगा।
7. अवकाश: परामर्शदाता एक कलेंडर वर्ष यथानुपात 12 धार पर, 12 ठ(08) दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। परामर्शदाताओं को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।
8. स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को परामर्शदाता के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
9. परामर्श-कार्य की अवधि के दौरान, पदाधिकारी को, समय-समय पर, बोर्ड द्वारा सौंपे गए, बोर्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य-मदों को देखना अपेक्षित ह॥
10. स्पाइसेस बोर्ड के साथ उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना ह॥ कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने असाइनमेंट की अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई किसी भी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं ह॥

11. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई नोटिस जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति की समाप्ति

स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित शर्तों पर परामर्शदाता की नियुक्ति समाप्त करेगा :

- परामर्शदाता निर्दिष्ट कार्य करने में असमर्थ हए
- कार्य की गुणवत्ता, बोर्ड की संतुष्टि के बराबर नहीं है।
- बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति में परामर्शदाता असफल रहता है।
- परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है।

नोट: बोर्ड, परामर्शदाता को पंद्रह दिनों की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह समाप्ति, ऐसी सूचना की सुपुर्दगी के पंद्रह (15) दिनों के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग), भारत सरकार में सेवानिवृत्त सरकारी पधारियों को परामर्शाता (विपणन एवं निर्यात संवर्धन) के रूप में नियुक्त करने के लिए वेन

हाल का पासपोर्ट
कार का फोटो
चिपकाए

1	पद का नाम जिसकेलिए वेदन किया हा	
2	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
3	पिता/पति का नाम	
4	जनम दिन	
5	संपर्क विवरण	मोब. नं./टेली. नं.
		ई-मेल ईडी
6	पत्रव्यवहार के लिए पता	
		पिन कोड
7	वेदन की अंतिम तारीख के अनुसार यु	
8	शक्षिक योग्यता (प्रमामपत्रों की स्वतः सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें)	
9	अनुभव एवं उपलब्धियाँ (समर्थक दस्तावेजों के साथ विवरण)	
10	सरकारी सेवा में शामिल होने की तिथि	
11	सेवानिवृत्ति की तारीख	
12	सेवानिवृत्त हुए पदनाम एवं कार्यालय	

13	अंतिम □ हरित वेतन और वेतन मट्रिक्स का स्तर					
14	पीपीए नं.(पृपया पीपीओ की प्रति संलग्न करें)					
15	मासिक पेंशन					
16	कंप्यूटर जानकारी का विवरण					
17	एक अलग शीट में नीचे दिए गए फॉर्मेट में अनुभव का संक्षिप्त विवरण - पदनाम वार (कृपया समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)					
क्रमांक	सेवा प्रदान की गई पदनाम और कार्यालय	विभाग/ अनुभाग	अवधि		कार्य की प्रकृति	कफियत
			से	तक		
18	पोस्टिंग की वरीयता (असाइनमेंट के स्थान के लिए प्रथम पृष्ठ में क्रम संख्या 3 देखें)				स्थान	
				वरीयता 1		
				वरीयता 2		
				वरीयता 3		
				वरीयता 4		
				वरीयता 5		
				वरीयता 6		
				वरीयता 7		

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं समझता हूँ/समझती हूँ और सहमत हूँ कि चयन/साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय ऊपर दी गई किसी भी जानकारी के असत्य या गलत/अपूर्ण या अपात्र पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और मैं स्पाइसेस बोर्ड के निर्णय से बाध्य रहूँगा/रहूँगी। मैंने ऊपर दिए गए सभी निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

हस्ताक्षर :

(□ वेदक का पूरा नाम) :

स्थान:

तारीख: